Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)
ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/101 **DATE: 22 JANUARY 2025**

सेवा में:
न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन,
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
पता: जीपीओ कॉम्प्लेक्स, मानव अधिकार भवन, सी ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली, दिल्ली 110023

द्वारा
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)
पता-एफ :49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, द्वारका सेक्टर 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली 110078

विषय: राजस्थान के झुंझुनू जिले के पचेरी कलां थाना क्षेत्र के मेघपुर-पाथरोली में मानवाधिकार हनन की घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी) के संज्ञान में आया है कि दिनांक 18 जनवरी 2025 शाम को राजस्थान के झुंझुनू जिले के पचेरी कलां थाना क्षेत्र के मेघपुर-पाथरोली में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। समाचार पत्रों, चैनलों एवं हमारे द्वारा की गई जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह घटना अत्याचार, जातिगत भेदभाव और अमानवीयता की चरम सीमा को दर्शाती है।

उक्त घटना में, **चिमनलाल मेघवाल** (अनुसूचित जाति) निवासी कोटड़ी, थाना खंडेला, जिला सीकर, जो ईंट भट्टा मालिक **विनोद यादव** के कार्यालय पर पानी पीने गए थे, पर अत्याचार किया गया। भट्टा मालिक और उनके सहयोगियों (मुनीम, बलराज, व अन्य) द्वारा उन्हें पानी के मटके को छूने पर पीटा गया। जब उनके साथी **परमेश्वर शर्मा** उन्हें बचाने पहुंचे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

इसके पश्चात् दोनों को बंधक बनाकर अन्य स्थान ले जाया गया। पीड़ित चिमनलाल की रातभर पिटाई के बाद 20,000/- रुपये फिरौती स्वरूप फोनपे से मंगवाए गए, और 1,00,000/- रुपये की मांग की गई। दुसरे दिन सुबह पीड़ित के भाई द्वारा फिर के 1,00,000/- रुपये लाकर दिए गए और किसी तरह अगले दिन सुबह पीड़ित जान बचाकर भगा एवं थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने में सफल हुए।

महोदय, यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जातिगत भेदभाव की घटनाएं आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए हैं।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने हम मैं निम्नलिखित मांग करते है:

1. **उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करें** – घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित हो।

2. **पीड़ितों को उचित मुआवजा** – पीड़ितों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति की भरपाई हेतु राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए।
3. **आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु प्रक्रिया तेज करें** – संबंधित न्यायालय को सिफारिश की जाए कि मामले में आरोपियों को बिना जमानत अंडर ट्रायल रखा जाए और दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा दी जाए।
4. **आयोग की निगरानी में कार्रवाई** – यह सुनिश्चित करें कि आयोग की निगरानी में सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष एवं समयबद्ध रूप से पूरी हों।
5. **मामले की निष्पक्ष जाँच** –ऐसी स्थिति में यह संभावना हो सकती है कि पुलिस प्रशासन पर आरोपी पक्ष या किसी राजनीतिक दबाव का प्रभाव हो, जिसके कारण पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं कर पा रही है। अतः मामले की जाँच सम्बंधित न्यायलय के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में करवाने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि आयोग इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और समाज में यह संदेश जाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।आशा है कि आप इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करेंगे एवं की गई कार्यवाही से हमें अवगत कराएँगे।

धन्यवाद।

संलग्न -

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी
2. अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी
3. ई-टीवी भारत द्वारा अपने न्यूज चेनल और वेबसाइट पर प्रकाशित न्यूज की कॉपी एवं विडियो
4. पीड़ित चिमनलाल मेघवाल के शारीर पर चोंट के निशान सम्बंधित फोटोग्राफ

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

प्रतिलिप -

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार

सादर,
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 1 - दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी

दैनिक भास्कर

चिड़ावा भास्कर 21-01-2025

2025 झुंझुनूं • चिड़ावा • पिलानी गुढ़ागौड़जी • बुहाना • सूरजगढ़

मेघपुर के ईंट भट्टे पर वारदात : भट्टा मालिक ने लात मारी, जातिसूचक गालियां दीं, केस दर्ज

दलित युवक ने पानी के लिए मटके को छुआ तो बेरहमी से पीटा, पूरी रात बनाए रखा बंधक

भास्कर न्यूज | पचेरी

मेघपुर के ईंट-भट्टे पर पैसे के लेनदेन को लेकर ट्रैक्टरों के दो ड्राइवरों को बंधक बनाकर बेरहमी के साथ मारपीट करने और रातभर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पचेरी कलां थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उसके साथी चालक ने भट्टे पर पानी पीने के लिए मटके को छुआ तब मारपीट की। जब उसने दूसरा मटका लाकर देने की बात कही तो उसे भी पीटा। बाद में दोनों को बंधक बनाकर अज्ञात जगह ले गए और रातभर बंधक बनाकर रखा।

इस संबंध में सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के कोटड़ी निवासी चिमनलाल मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने रिपोर्ट दी कि वह बलदेव मीणा का ट्रैक्टर चलाता है। वह 18 जनवरी को मेघपुर में विनोद यादव के ईंट भट्टे पर ईंट लेने आया था। ट्रैक्टर भरवाने के बाद विनोद यादव के मुनीम को हिसाब के पैसे भी दे दिए। जब वह मटके का पानी पीने गया तो पीछे से भट्टा मालिक विनोद यादव आया और पहले उसको लात मारी। विनोद यादव के साथ उसका मुनीम, बलराज व एक अन्य व्यक्ति उसे अपनी गाड़ी में डाल लिया और अज्ञात जगह ले गए। जहां पर रातभर उन्होंने मारपीट की। रात को फोन पे पर रुपए मंगवाए। जेब के सारे रुपए छीन लिए। इसके बाद सुबह उसे भट्टे पर लाकर बंद कर दिया। यहां से बचकर पुलिस के पास गया।

प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर की जुबानी-दूसरा मटका लाकर देने की बात कही तो मुझे भी पीटा

घायल चिमनलाल के साथी चालक परमेश्वर शर्मा ने भास्कर को बताया कि वे 18 जनवरी की शाम को मेघपुर भट्टे पर ईंट लाने गए थे। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ईंट भरवाने के बाद वे भट्टे की ऑफिस में आ गए। वहां मुनीम से पैसे का हिसाब कर उसे भुगतान कर दिया। इस दौरान साथी चालक चिमन वहां रखे मटके से पानी पीने लगा। तब भट्टा मालिक विनोद यादव ने पीछे से लात मारी। गाली गलौच करने लगा। बोला-मटके को हाथ कैसे लगाया? जब मैंने उन्हें कहा कि एक मटके के हाथ लगाया है तो मैं पांच मटके लाकर दे दूंगा। तब मुझे भी पीटा। मुनीम व दो अन्य ने पीटा। रात को 11 बजे गाड़ी में डालकर पचेरी से आगे एक खेत में ले गए। कोटड़ी में बंधक बनाकर रखा और चिमन के साथ मारपीट की। घरवालों व ट्रैक्टर मालिक को बार बार फोन करवाकर रुपए मांगे। कहा पैसे मंगवाने में जितनी देरी होगी, उतनी रकम बढ़ती जाएगी। इसलिए रात को ही फोन पे के जरिए 20 हजार रुपए मंगवाकर दिए। बाकी रकम सुबह देने की बात पर सुबह चार बजे वापस भट्टे पर लाए। ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करा दी। सुबह 6 बजे भाई रामेश्वर एक लाख रुपए लेकर पहुंचा और भट्टा मालिक को दिए, तब मुझे छोड़ा। इस दौरान चिमनलाल भी वहां से भाग निकला।

प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर

बेरहमी से की गई मारपीट के निशान... ट्रैक्टर चालक चिमनलाल मेघवाल की पीठ व पैर पर चोट के निशान।

कोई बकाया नहीं था, सुबह 1 लाख रुपए लाकर दिए तब छोड़ा

मारपीट के दौरान उन्होंने ट्रैक्टर मालिक बलदेव मीणा को फोन कर दोनों चालकों को छोड़ने के बदले एक लाख रुपए मांगे। पैसे ना देने पर ऐसे ही मारपीट करने की धमकी दी। जब ट्रैक्टर मालिक ने मना कर दिया तो चालकों के परिजनों को फोन करने लग गए। चालक परमेश्वर ने अपने भाई को फोन कर अपनी पीड़ा बताई और छुड़ाने के लिए रुपए मांगे। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से भागकर चिमनलाल ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है।

मामले की जांच बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर कर रहे हैं। इस घटना से जुड़े दो ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। जिसमें चिमन लाल की चीख पुकार के अलावा आरोपियों द्वारा गाली गलौच और रुपए देने की आवाजें सुन रही हैं।

■ मटकी में पानी पीते समय पीटने का आरोप लगाया गया है। क्यों पीटा, यह अनुसंधान का विषय है। पीड़ित से पूछताछ नहीं हो पाई है। वह इलाज के लिए गया हुआ था। पूछताछ के बाद ही बात क्लियर होगी।

—नोपाराम भाकर, डीएसपी

इधर, इस मामले में ट्रैक्टर मालिक बलदेव मीणा ने बताया कि उसने चालक चिमनलाल मेघवाल और परमेश्वर को दो ट्रैक्टर देकर ईंट लाने के लिए भेजा था। उसका सिर्फ 16 हजार रुपए का हिसाब किताब ही बाकी था। जिसके लिए भी लगातार व्यापार हो रहा था। यहीं वह देने के लिए हामी भर रहा था। लेकिन देर रात को जब ड्राइवर चिमनलाल के फोन से कॉल आया और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो मारपीट नहीं करने की बात कही थी। लेकिन सुबह नगद लेकर ही ड्राइवरों को छोड़ा।

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

साक्ष्य क्रमांक 2 - अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार की कॉपी

https://www.amarujala.com/rajasthan/jhunjhunu/rajasthan-dalit-was-brutally-beaten-up-for-touching-water-pot-in-jhunjhunu-then-had-to-pay-ransom-of-1-5-lakhs-2025-01-21

amarujala.com/rajasthan/jhunjhunu/rajasthan-dalit-was-brutally-beaten-up-for-touching-water-pot...

अमर उजाला

होम › राजस्थान › झुंझुनू अजमेर अलवर उदयपुर करौली कोटा More ··· मेरा शहर

Hindi News › Rajasthan › Jhunjhunu News › Rajasthan Dalit Was Brutally Beaten Up For Touching Water Pot In Jhunjhunu Then Had To Pay Ransom Of

Rajasthan Dalit: झुंझुनूं में पानी का घड़ा छूने पर दलित को बेरहमी से पीटा, फिर देनी पड़ी डेढ़ लाख की फिरौती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 21 Jan 2025 10:39 PM IST

सार   57 Followers झुंझुनू

राजस्थान के झुंझुनूं में एक दलित चालक की बेरहमी से इसलिए पिटाई की गई कि उसने मटके से पानी पीने की कोशिश की। ईंट-भट्ठे के मालिक ने चालक के परिवार से डेढ़ लाख रुपये की फिरौती भी ली।

amarujala.com/rajasthan/jhunjhunu/rajasthan-dalit-was-brutally-beaten-up-for-touching-water-pot-in-jh...

होम › राजस्थान › झुंझुनू अजमेर अलवर उदयपुर करौली कोटा More ··· मेरा शहर

बता दें कि पचेरी कलां थाना क्षेत्र में एक ईंट-भट्ठे पर यह घटना शनिवार को उस समय हुई, जब ट्रैक्टर चालक चिमनलाल मेघवाल वहां ईंट लेने गया था। पुलिस के अनुसार, पैसे देने के बाद चिमनलाल घड़े से पानी पीने लगा तो भट्ठा मालिक विनोद यादव ने उसे लात मार दी।

बेल्ट से बेरहमी से की पिटाई

पुलिस ने बताया कि इसके बाद विनोद और दो अन्य लोग उसे कार से हरियाणा के रेवाड़ी ले गए और बेल्ट से उसकी पिटाई की। उसे छोड़ने के लिए परिवार से डेढ़ लाख रुपये मांगे। पीड़ित के भाई की ओर से पैसे दिए जाने के बाद उसे छोड़ा गया। पुलिस उप निरीक्षक राजपाल ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित ने इस संबंध में रविवार को मामला दर्ज कराया।

शरीर पर चोट के निशान

राजपाल के मुताबिक, चालक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराया गया। उप निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे घड़े से पानी पीने पर पीटा गया। उन्होंने कहा कि अभी मामले में पूछताछ जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साक्ष्य क्रमांक 3 - ई-टीवी भारत द्वारा अपने न्यूज चेनल और वेबसाइट पर प्रकाशित न्यूज की कॉपी एवं विडियो

https://www.etvbharat.com/hi/!state/a-tractor-driver-was-held-hostage-and-beaten-at-a-brick-kiln-in-jhunjhunu-rajasthan-news-rjs25012005200

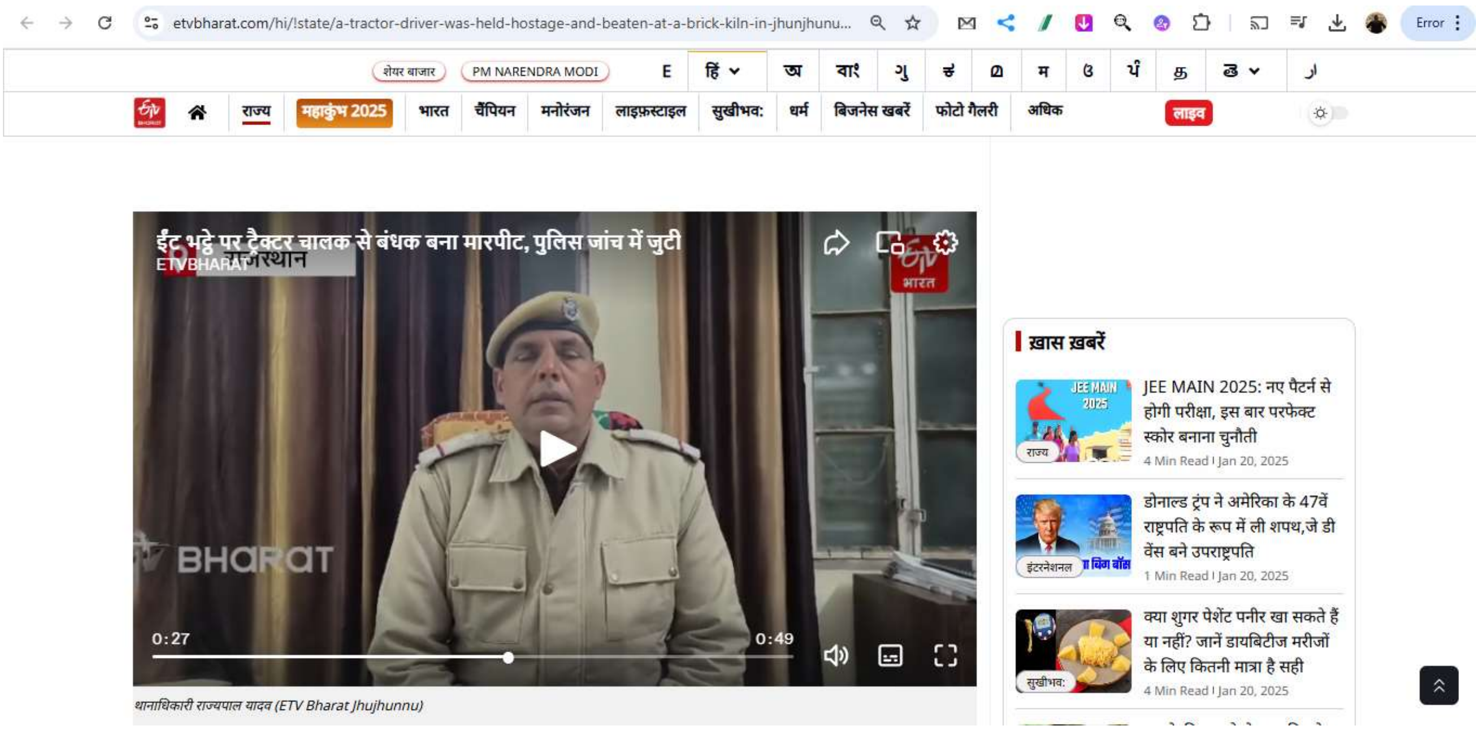

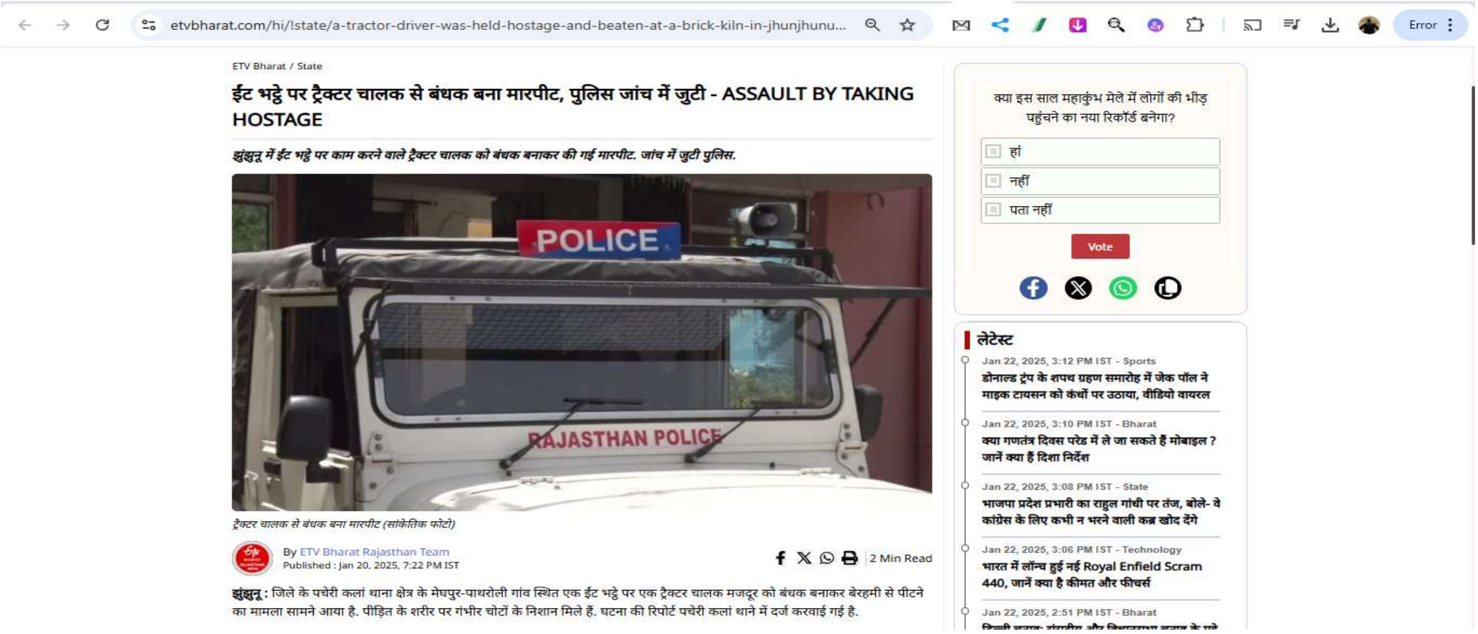

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

साक्ष्य क्रमांक 4 - पीड़ित चिमनलाल मेघवाल के शारीर पर चोंट के निशान सम्बंधित फोटोग्राफ